opposed the introduction of the Bill does not really oppose the introduction of the Bill or even the provisions of the Bill. He is not satisfied with it since he believes that the Bill is not as comprehensive as it should be, and does not legislate for a longer period than it proposes to deal with. Therefore, it is a matter of dissatisfaction. As far as the other observations that he made are concerned, I think he and I will have another opportunity, provided you permit Sir, to deal with the contents of the Bill both in terms of inclusion and exclusion. Therefore, I do not want to take the time of the House to reply to him in detail.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Payment of Bonus (Amendment) Act, 1977."

The motion was adopted.

SHRI RAVINDRA VARMA: I introduce the Bill.

STATEMENT *RE*: PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1978

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to lay on the Table an Explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1978.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up matters under Rule 377.

14.26 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

(i) DROUGHT SITUATION IN MAHARASHTRA

श्री हरि शंकर महाले (भालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अन्तर्गत महाराष्ट्र के सूखे के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महाराष्ट्र राज्य के नासिक, धूलिया तथा अहमदनगर में इस बार वर्षा बहुत कम हुई है जिसके कारण वहां भीषण सूखा पड़ा हुआ है । जानवरों को खाने की घास नहीं है और उन्हें पीने के लिए पानी नहीं है । लोगों को पीने के लिए पानी और अनाज का अभाव है । गत वर्ष भी इन जिलों में भारी सूखा पड़ा था किन्तु इस वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक भयंकर सूखा पड़ा है । अनेक जगहों पर सुखे के कारण बीज नहीं बोया जा सका है । जहां बोया भी गया है वहां भी पौध नहीं निकलती है और उन पर फल नहीं लग पाया । केन्द्र सरकार शीघ्र ही एक टीम भेजकर इस बारे में सिफारिशें लेकर कार्यवाही करे तथा पीने के पानी के लिए टैंकरों की सुविधा और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी अविलम्ब की जानी चाहिए । लोगों को रोजगार और अनाज उपलब्ध कराने के लिए भोजन योजना के अधीन काम अविलम्ब शुरू कराया जाय ।

यह समस्या केवल महाराष्ट्र की नहीं है, बल्कि देशव्यापी है और प्रति वर्ष कोई न कोई प्रदेश इस समस्या का शिकार रहता है । इसलिए इस पर संसद में कृषि मंत्री वक्तव्य दें कि वह इसके लिए स्थायी समाधान के लिए कदम उठा रहे हैं ।